

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/32638/2018

Rehabilitation & Upgrading of Dewari saidih Gadphuljhar Toshgaon Torsingha Road

1.	परियोजना / स्कीम का स्थान :-	देवरी सलडीह तौरिंगाव गाढ़पुलजहार तौरिंगाव भाग का चौकीकरण एवं वन्यवन कार्य
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(iii)	जिला	महासमुन्द्र
(iiii)	वन प्रभाग	महासमुन्द्र
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	2.767 हे.
(v)	वन की कानूनी स्थिति	1. आरक्षित वन रकबा - 2.767 हे. कुल - 2.767 हे.
(vi)	हिराएली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिशिष्ट श्रेणीवार वृक्षों की परिभाषा (संलग्न की जाए) सिंघाई / जतीय परिभाषाओं के संबंध में एक.आर.एल., एक.एक.आर.एल. -2 सी. पर परिभाषा और एक.आर.एल. 4 सी. भी संलग्न किए जाए।	वृक्ष विविधता योजना संलग्न है।
(viii)	भूस्वतंत्रता के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण हेतु संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनो से लगभग 100 मीटर दूरी पर वन क्षेत्र एवं मार्ग वन क्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	व्यापक रूप से राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, कोरिडोर आदि का भाग है।	नहीं है।
(xi)	व्यापक रूप से वनस्थिति और प्राविजात की दुर्लभ/संकराणन/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं, यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं है।
(xii)	व्यापक रूप से सुरक्षित प्राकृतिक/पारम्परिक स्थल / प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न प्राधिकरण से अनुरोधित प्रमाण पत्र के साथ यदि उपलब्ध हो दें।	नहीं है।
2.	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो, जांच गए विकल्पों के ब्यौरे संलग्न प्राधिकरण से अनुरोधित प्रमाण पत्र के साथ यदि उपलब्ध हो दें।	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवश्यकता से सहमत है।
3.	व्यापक अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अमल रहे हैं।	नहीं
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण 10 वर्षीय प्राकलन तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की गई है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिलेखित वनोत्तर क्षेत्र/अवकाशित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	-
(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिलेखित वनोत्तर क्षेत्र/अवकाशित वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	-

महाराष्ट्र वनसंरक्षण, महाराष्ट्र

वनसंरक्षण विभाग

मा. व. सं.

(पृष्ठ संख्या)

(iii)	राज्य की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसार जारी लागत बंधा आदि ।	-
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय ।	-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभियानित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	-
5.	वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्तता का तालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है ।
6.	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4790.00 वर्ग कि.मी.
(ii)	वनसंरक्षण का वन क्षेत्र	1005.192 वर्ग कि.मी.
(iii)	मानवों की संख्या सहित 1980 से वर्तमान प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	प्रकरण संख्या- 23 रकबा 1686.925 है
(iv)	1980 से जिला/प्रमाण में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : एच के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । वर्तमान भूमि पर	2055.805 है
(v)	एक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि । (ख) वर्तमान भूमि पर ।	2055.805 है
7.	प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अग्रिम लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	अनुशंसा की जाती है ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक / व.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

पृष्ठ - 3

1 परियोजना का नाम : देवरी सरडीह लोहागांव गांधीनगर लोहागांव मार्ग का चौकीकरण एवं उन्मयन कार्य हेतु

2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम : परियोजना प्रबंधक, उन्नीसगढ़ राज्य सहक क्षेत्र परियोजना (ए. बी.डी. प्रोजेक्ट) ली.नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.)

3 गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग : सहक चौकीकरण एवं उन्मयन कार्य रकबा 2.767 है।

4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति

जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र	परियोजना स्थल
महासमुद्र	महासमुद्र	बसना	कक्ष कमांक 298 रकबा 0.231 है। कक्ष कमांक 300 रकबा 2.536 है। कुल 2.767 है।

5 वन भूमि का विस्तृत विवरण

(ख) सीमांकित संरक्षित वन

(ग) असीमांकित संरक्षित वन

(घ) राजस्व वन क्षेत्र

योग -

: 2.767 है

6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति : 0.5, साईड क्वालिटी IV-B प्रकार

7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : स्थिति

8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की : स्थिति

9 आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणां) : (1) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. / वन मार्ग) से दूरी (जिस स्पष्ट रूप से मानचित्र) में भी आंकित करें)

10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फियर रिजर्व, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है) अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतियोगित करें।

11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणां में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलास्थल/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बताएं एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)

12 आवेदन क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हा, तो संक्षिप्त विवरण दें।

116

प्रमाण - पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा दिनांक 10.5.2022 को किए गए मौखिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वास्तविकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल - पथर
दिनांक - 10.05.2022

(प्रकाश राजपूत)
भा.व.सं.
वनसंरक्षणिकाधी
महासमुद्र वनसंरक्षण, महासमुद्र